

डॉ. विश्वास तिवारी

विश्वभर में हर साल मधुमेह से दस लाख से ज्यादा मौत हो रही है और यह बीमारी किसी को भी और कभी भी हो सकती है। यह एक ऐसी बीमारी के तौर पर उभरी है जो बहुत तेजी से युवाओं से लेकर बच्चों तक को अपनी गिरफ्त में ले रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, दुनिया भर में 42.2 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़ित है। पिछले 40 वर्षों में मधुमेह की चपेट में आने वालों की संख्या चार में गुना बढ़ गई है। ऐसे डरावने आंकड़ों के बाद भी आम लोगों में इस बीमारी के लक्षणों, बचाव और कारणों को लेकर जागरूकता नहीं है। इसकी चपेट में आए आधे से ज्यादा लोगों को इस बीमारी के बारे में मालूम ही नहीं होता है। लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 14 नवंबर को ‘वर्ल्ड डायबिटीज डे’ मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1991 में की गई थी। यह दिन प्रोफेसर पॉल डब्ब्यू ग्रांट के जन्म दिन से जुड़ा है, जिन्होंने मधुमेह की दवाई इंसुलिन की खोज की थी। वर्ल्ड डायबिटीज डे के अवसर पर लैंसेट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में मधुमेह से पीड़ित कुल वयस्कों (82.8 करोड़) में से एक चौथाई (21.20 करोड़) भारत में है। 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा मधुमेह रोगियों वाले देश चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और ब्राजील है।

आइए जानते है कि मधुमेह बीमारी है क्या? जब हम खाना खाते है तब हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ग्लूकोज में बदलता है। पैक्रियाज से इंसुलिन नामक हॉर्मोन निकलता है जिसकी मदद से हमारे शरीर की कोशिकाएं शुगर को सोखकर ऊर्जा बनाती है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन का बनना कम हो जाता है या फिर वह ठीक से काम नहीं करता है तो खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। यह स्थिति मधुमेह को जन्म देती है। मधुमेह

क्यों वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज खुलने से खफा है कांग्रेस?

डॉ.आर.के. सिन्हा

वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली यूनिवर्सिटी एक नया कॉलेज खोलने जा रही है। वीर सावरकर जैसे महान स्वाधीनता सेनानी के नाम पर कॉलेज खुलने से देशभर के नौजवान निश्चित रूप प्रेरित ही होंगे। इस बारे में किसी को किसी तरह का शक भी नहीं होना चाहिए, पर कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। कांग्रेस को वीर सावरकर के नाम से ही हमेशा ही चिढ़ रही है। अब कांग्रेस को कौन बताए कि वीर सावरकर, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था, भारत के स्वाधीनता आंदोलन के एक ही अत्यंत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। वे एक महान क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी विचारक, लेखक और वकील थे। उनका जीवन और कार्य भारतीय इतिहास के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी अत्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं।

काश, सावरकर के नाम पर खुलने वाले कॉलेज का विरोध करने वाले वीर सावरकर के बारे में अपनी महान नेत्री इंदिरा गांधी की ही राय को जान लेते। इंदिरा गांधी जब भारत की सूचना और प्रसारण मंत्री थीं तब उन्होंने के निर्देश पर वीर सावरकर पर केंद्रित डाक्यमेंट्री फिल्म उनके विभाग ने बनाई थी। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए सावरकर की स्मृति में डाक टिकट भी जारी हुआ। श्रीमती गांधी ने अपने निजी खाते से सावरकर स्मृति कोष के लिए 11 हजार रुपये का अंशदान भी किया था।

इंदिरा गांधी ने सावरकर को ‘रिमाकॅबल सन ऑफ इंडिया’ कहा था। इंदिरा गांधी ने 20 मई 1980 को पंडित बाखले, सचिव, ‘स्वतंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक’ के नाम से संबोधित चिट्ठी में सावरकर के योगदान का जिक्र किया था। इस पत्र में इंदिरा गांधी ने लिखा है, मुझे आपका पत्र 8 मई 1980 को मिला था। वीर सावरकर का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काफी अहम है। मैं आपको देश के महान सपूत के शताब्दी समारोह के आयोजन के लिए बधाई देती हूं। मशहूर लेखक वैभव पुरंदरे ने अपनी किताब ‘द टू स्टोरी ऑफ फादर ऑफ हिंदुत्व’ में लिखा है कि इंदिरा गांधी का लिखा पत्र सत्य है। किताब में लिखा है कि इंदिरा गांधी ने 1966 में सावरकर के निधन पर गहरा शोक भी जताया था। इंदिरा गांधी ने सावरकर को महान क्रांतिकारी बताते हुए तारीफ की थी और एक बयान भी जारी किया था। इंदिरा गांधी ने कहा था कि सावरकर ने अपने कार्यों से पूरे देश को प्रेरित किया था। अफसोस कि कांग्रेसियों को सच जानने से कोई मतलब ही नहीं रहा। उन्हें तो मीन-मेख निकालनी है। इसलिए इतनी पुरानी पाटी सिक्कड़ती ही चली जा रही है।

वीर सावरकर तो बचपन से ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध में भाग लेना शुरू कर दिया था। सावरकर 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित ‘इंडिया हाउस’ में शामिल होने के लिए लंदन चले गए। लंदन में, उन्होंने ‘अभिनव भारत’ नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना था। उन्होंने ‘1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम’ नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने

कैसे बचें मधुमेह (डायबिटीज) जैसी घातक बीमारी से

कई प्रकार के होते है लेकिन टाइप-1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज से जुड़े मामले ज्यादा पाए जाते है। टाइप-1 डायबिटीज में आपका पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। इसके कारण हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। इसका कारण अुनवांशिक (फैमिली हिस्ट्री) और वायरस संक्रमण भी हो सकता है। अगर आपके परिवार में माता-पिता या भाई बहन किसी को भी मधुमेह है तो आपको भी यह बीमारी हो सकती है। मधुमेह पीड़ित हर 10 लोगों में से एक डायबिटीज टाइप-1 से पीड़ित होते है, वहीं टाइप 2 में पैंक्रियाज में ज़रूरत से कम इंसुलिन बनता है या इंसुलिन ठीक से अपना काम नहीं करता है। टाइप 2 मधुमेह मुख्य रूप से अधेड़ और वृद्ध लोगों को, मोटे और शारीरिक श्रम कम करने वाले युवाओं को और दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों को हो सकता है। वहीं कुछ गर्भवती महिलाएं जेस्टेशनल डायबिटीज से पीड़ित हो सकती है। इसमें महिलाओं का शरीर उनके और बच्चे के लिए पर्याप्त इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। यह डायबिटीज होने के बाद खत्म भी हो सकता है अगर महिला अपने खान-पान पर नियंत्रण रखे। इससे डायबिटीज टाइप 2 में बदलने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग प्री डायबिटीज से भी पीड़ित हो सकते है। अगर खून में ग्लूकोज की अधिक मात्रा ज्यादा समय तक रही तो आगे चलकर इन लोगों को डायबिटीज हो सकता है। इन्हें समय-समय पर अपने खून में शुगर की मात्रा की जांच कराती रहना चाहिए और खानपान पर नियंत्रण रखना चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए तो वह इससे बच सकते है। मधुमेह के लक्षणों में ज्यादा प्यास लगना, सामान्य से ज्यादा पेशाब करना, थका महसूस होना, बिना



मधुमेह के लक्षणों में ज्यादा प्यास लगना, सामान्य से ज्यादा पेशाब करना, थका महसूस होना, बिना किसी प्रयास के वजन कम होना, आपके हाथ या पैर में सुन्नपन या झुनझुनी होना, बार-बार त्वचा या योनि में संक्रमण होना। मुंह में अक्सर छाले होना, आंखों की रोशनी कम होना और घाव भरने में ज्यादा समय लगना होते है। डायबिटीज आनुवांशिक, पर्यावरणीय और जीवनशैली कारकों पर आधारित होती है, लेकिन आप अपने खून में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मधुमेह से बचा सकते है।

किसी प्रयास के वजन कम होना, आपके हाथ या पैर में सुन्नपन या झुनझुनी होना, बार-बार त्वचा या योनि में संक्रमण होना। मुंह में अक्सर छाले होना, आंखों की रोशनी कम होना और घाव भरने में ज्यादा समय लगना होते है। डायबिटीज आनुवांशिक, पर्यावरणीय और जीवनशैली कारकों पर आधारित होती है, लेकिन आप अपने खून में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मधुमेह से बचा सकते है। संतुलित खान-पान और नियमित व्यायाम करने से ऐसा किया जा सकता है। मधुमेह रोगियों के लिए आहार नियमित समय पर स्वस्थ भोजन खाने पर

आधारित है। नियमित समय पर भोजन करने से शरीर द्वारा बनाए जाने वाले इंसुलिन या के माध्यम से प्राप्त होने वाले इंसुलिन का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलती है। डिब्बाबंद खाना और ड्रिंक्स को बंद करना इस दिशा में पहला कदम हो सकता है। आपके रोजाना के खाने में सब्जियां, फल, फलियां जैसे सेम और मटर और साबुत अनाज को शामिल करें। गेहूं, सफेद ब्रेड, चावल और मीठा खाना कम करें। इसके अलावा सेहतमंद तेल, जैसे जैतून और मुंगफली का तेल, बादाम और अगर मांसाहारी हो तो सालमन और मेकेरल जैसी मछलियां को भी अपने

हृदयनारायण दीक्षित

संविधान

के खात्मे को लेकर खासी बहस चली है। भारत का संविधान अनूठा है, अद्वितीय है। यह देश का राजधर्म है। इस संविधान में अनेक लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। सबकी अपनी सीमा है। यह सीमा भी संविधान निर्देशित है। सभी संवैधानिक संस्थाओं का श्रोत संविधान है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां भी संविधान प्रदत्त हैं। संविधान निर्माता भविष्य के भारत के प्रति सजग थे। उन्होंने गहन विमर्श के बाद संविधान बनाया। परस्पर विचार विमर्श अच्छी बात है, लेकिन संविधान को समाप्त करने का दुष्प्रचार करने का विपक्षी दलों का निर्णय अनुचित है। लोकसभा चुनाव के समय संविधान को खत्म करने और बदलने का शोर मचाया गया। विपक्षी दल लगातार आरोप लगाते रहे कि केन्द्रीय सत्ता संविधान के खात्मे पर उतारू है। संविधान समाप्ति जैसी कोई योजना कभी प्रकाश में नहीं आई। न विचार में, न कर्म में और न ही लेखन सहित अन्य अभिव्यक्तियों में भी। संविधान को खत्म करने की अफवाह देश के कोने कोने तक पहुंची। शिक्षित लोग सन्न थे कि संविधान के खात्मे की बात कहां से आई? संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर फोटो खिंचवा रहे थे।

मजेदार बात है कि संविधान खत्म किए जाने की सूचना संभवतः सबसे पहले उनको ही प्राप्त हुई। यह झूठ देश

के मानस में बार-बार आ रहा है। संविधान के खात्मे का दुष्प्रचार करने वाले व्यक्ति/दल/समूह नितांत झूठ का सहारा ले रहे हैं। संविधान बदलने का सबसे बड़ा दुस्साधन 1976 में अधिनियमित 42वें संविधान संशोधन में कांग्रेस ने किया था। दुर्भाग्य से इस संविधान के खात्मे का विषय ठीक से जानने वाले लोगों की संख्या कम है। संसद और विधान मण्डल और न्यायालयों की बहसों में संविधान की सर्वोपरिता है। संविधान की उद्देशिका में राष्ट्रजीवन के लक्ष्य हैं। उद्देशिका में

ज़ी पार्थसारथी

वर्ष 1971 में अपने जन्म के काल में अमेरिका-चीन जैसे एक अजीब और आभासीय गठबंधन की चालों का सामना करने के बावजूद, हाल के वर्षों में बांग्लादेश ने तेजी से आर्थिक विकास का रिकॉर्ड बनाया है। 1971 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से, अनिश्चितताएं और निरंतर प्राकृतिक आपदाएं झेलने के बावजूद, इसने आर्थिक विकास में मजबूती और गरीबी में कमी होते देखी है। जन्म के समय दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिने जाने से लेकर 2015 आते-आते यह मुल्क निम्न-मध्यम आय की स्थिति में पहुंच गया।

इस बीच, इसकी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हाल ही में अंतरिम सरकार- जिसकी बागडोर एक

संविधान को संकीर्ण राजनीतिक लड़ाई का उपकरण न बनाएं

संसद और विधान मण्डल और न्यायालयों की बहसों में संविधान की सर्वोपरिता है। संविधान की उद्देशिका में राष्ट्रजीवन के लक्ष्य हैं। उद्देशिका में उल्लिखित भारत को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समता प्राप्त कराना मुख्य उद्देश्य है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तमाम निर्णयों में उद्देशिका के महत्व और उपयोगिता की चर्चा की है। बेशक संविधान के अन्य प्रावधानों की तरह उद्देशिका को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। लेकिन न्यायालयों के कई निर्णयों में यह शासन का मुख्य घटक है।

उल्लिखित भारत को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समता प्राप्त कराना मुख्य उद्देश्य है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तमाम निर्णयों में उद्देशिका के महत्व और उपयोगिता की चर्चा की है। बेशक संविधान के अन्य प्रावधानों की तरह उद्देशिका को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। लेकिन न्यायालयों के कई निर्णयों में यह शासन का मुख्य घटक है।

उद्देशिका ‘हम भारत के लोग’ से शुरू होती है। संविधान सभा को मिली शक्ति भारत के लोगों द्वारा ही अर्जित है। कुछ राजनीतिक दल जाति और मजहब के आधार पर राजनीतिक समूह या संगठन चलाते हैं। इस प्रकार के दलों द्वारा समाज तोड़ने वाले शब्द चलाए जाते हैं। इनकी बात माने तो हम संविधान की उद्देशिका में लिखा जाता, कि भारत जाति पाति आदि कई संकीर्णताओं में लित है। इसे ‘भारत के लोग’ कहना बेकार है। वे कहते हैं कि यहां की जनता केवल कुछ समूहों का गजजोड़ है। जबकि संविधान रचना का उद्देश्य और कारण सुस्पष्ट हैं। प्रत्येक भारतवासी उद्देशिका के अनुरूप ‘हम भारत के लोग’ की हस्सा है। भारत हजारों वर्ष पहले भी एक राष्ट्र था। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक भारत की एक संस्कृति है। इस संस्कृति के कारण ही

अमेरिका शिक्षित कृषक और नोबेल पुरस्कार विजेता,

मोहम्मद यूनूस के हाथ में है- के नेतृत्व में स्थानीय ‘अफसरों’ द्वारा गिरफ्तार किए जाने की धमकी के बाद भारत में शरण लेनी पड़ी है। यूनूस एवं बांग्लादेश ग्रामीण बैंक को 2006 में ‘निचले स्तर से आर्थिक एवं सामाजिक विकास करने’ की दिशा में कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 1983 में स्थापित इस बैंक का उद्देश्य गरीब लोगों को आसान शर्तों पर छोटे ऋण प्रदान करना है, जिसे ‘माइक्रो-क्रेडिट’ भी कहा जाता है।

शेख हसीना, जो अब भारत में निर्वासन में रह रही हैं, उन्होंने 1975 में अपने पिता शेख मुजीब-उर-रहमान को एक खूनी सैन्य तख्तापलट में मारे जाते देखा था। साल 1971 में मुजीब अगुवाई करके अपने लोगों को स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक शासन की ओर

तरह की जांच की जाती है। एचबी1 ए सी की जांच टाइप 2 डायबिटीज के लिए की जाती है। इसमें मरीज को हर 3 माह में एक बार ब्लड टेस्ट कराना होता है और इससे उसका एवरेज ब्लड ग्लकोज लेवल जांचा जाता है। इस जांच में 5 से 10 के अंकों में खून में ग्लूकोज का स्तर नापा जाता है। अगर जांच की रिपोर्ट में 5.7 से नीचे का आंकड़ा होता है तो इसे सामान्य होता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का आंकड़ा 6.5 से अधिक होता है तो वह मधुमेह का मरीज कहलाता है। इसके कारण एक ओर फॉस्টিंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट कराया जाता है। यह सबसे आम ब्लड टेस्ट होता है इस जांच में व्यक्ति को 10-12 घंटे भूखे रहने को कहा जाता है और इसके बाद ही यह जांच की जाती है एक और जांच की जाती है जिसे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते है। इस जांच में भी खाली पेट रहने को कहा जाता है और जांच के दो घंटे पहले मरीज को ग्लूकोज युक्त पेय पिलाया जाता है। एक जांच होती है जिसे रैंडम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते है। इस प्रकार की जांच में ब्लड सैम्पल की जांच 4 बार की जाती है। अगर ब्लड शुगर का स्तर दो बार सामान्य से ज्यादा पाया जाता है तो गर्भवती महिला को जेस्टेशनल डायबिटीज होने की पुष्टि की जाती है। मधुमेह रोग एक जीवन भर रहने वाला रोग है।

अगर उपचार की बात करें तो टाइप-1 डायबिटीज का कोई स्थायी उपचार नहीं है और इसलिए जिंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ता है, लेकिन टाइप-2 डायबिटीज को प्रतिदिन व्यायाम, संतुलित आहार, नियमित जीवशैली और वजन कम करके छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ सावधानियों से मधुमेह की बीमारी से बचा जा सकता है। जिसमें मोटे का काम सेवन करें, व्यायाम करें, वजन घटाएं, सिगरेट और शराब से परहेज करें, हाई फाइबर डाइट (सलाद और फल) खाएं और प्रोटीन का अधिक सेवन करें, विटामिन डी की कमी ना होने दे और पानी ज्यादा पीये।

भारत के अर्थ में प्राचीन भूमि का अर्थ प्राचीन संस्कृति होना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बताया है।

स्वाधीनता मिलने तक भारत राष्ट्रकुल का सदस्य था। इंग्लैंड के सम्राट के अधीन राष्ट्रमण्डल में भारत के बने रहने पर आलोचना हुई। प्रत्यक्ष रूप में यह निर्णय उचित नहीं था। सभा में प्रधानमंत्री नेहरू को स्पष्टीकरण देना पड़ा। आखिरकार एक संप्रभु राष्ट्र इंग्लैंड के राजा रानी के प्रति निष्ठा कैसे रख सकता है? आयरलैंड ने रिपब्लिक आफ आयरलैंड एकट बनाकर अपने आप को इंग्लैंड से पृथक कर लिया। आलोचनाओं के बाद कहा गया कि भारत में सम्राट के प्रति निष्ठा स्वीकार्य नहीं है। यह निर्णय प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में लिया गया। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि, ‘प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बन जाने के पश्चात भी भारत राष्ट्रकुल का पूर्ण सदस्य बना रहेगा।’

लोकमंगल भारत के राष्ट्रजीवन का लक्ष्य रहा है। अनेक महत्वपूर्ण विषय ऐसे भी थे जो संविधान सभा में अंतिम निर्णय तक पारित नहीं किए जा सके। संविधान सभा ने उन महत्वपूर्ण विषयों को भी संविधान में जगह दी। उन्हें राज्य का नीति निदेशक तत्व कहा है। संविधान के नीति निदेशक तत्वों (भाग चार-अनुच्छेद 36 से 51) में ऐसे उपयोगी उद्देश्य रखे गए हैं। संविधान में कहा गया है कि प्रशासन और विधि के निर्माण में इन सिद्धांतों का अनुसरण किया जाए। गोवंश का संरक्षण भी ऐसा ही नीति निदेशक तत्व है। बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रश कराने का लक्ष्य भी नीति निदेशक तत्वों में है। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत भी सम्मिलित हैं। संविधान निर्माताओं की क्षमता भी अद्भुत थी। नीति निदेशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं हैं। वे किसी को सुभाषित लग सकते हैं, लेकिन वस्तुतः सबके लिए मार्गदर्शी हैं। संविधान में राष्ट्रजीवन के सभी मूलभूत विशेषताओं का उल्लेख है। सम्प्रति संविधान के बदलने को लेकर झूठी अफवाहें हैं।

ले गए थे। कदाचित्?, अमेरिका और चीन, दोनों ही,

शेख मुजीब और उनकी बेटी के प्रति अविश्वास और नापसंदगी की भावना पाले रहे। हसीना, जो नैसर्गिक रूप से भारत के प्रति दोस्ताना थीं, उन्हें अमेरिका और चीन के तत्कालीन गठबंधन द्वारा सोवियत विरोध के तहत चली गैर-मैत्रीपूर्ण भावनाओं का सामना करना पड़ा था। उनके बाद बांग्लादेश में ऐसी सरकारें आईं, जिन्हें भारत जरा भी सुहाता नहीं था। हालांकि, समय के साथ चीजें बदलते गईं। अगर शेख मुजीब को 1970 के दशक में अमेरिका और चीन की दुश्मनी का सामना करना पड़ा था, तो आज की तरीख में उनकी बेटी और उत्तराधिकारी वैसी ही स्थिति का सामना कर रही हैं। वर्तमान में अमेरिका और चीन बिल्कुल भी अच्छे दोस्त नहीं हैं, जैसाकि वे 1970 के दशक की शुरुआत में हुआ करते थे।